**सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश.**
1250, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष–कार्या. 2556916, फैक्स–2552665
ई–मेल : **dpswbpl@nic.in**

क्रमाकं/नि.क. 9/2018/907 भोपाल, दिनांक 31.05.2018

प्रति,

संयुक्त संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
जिला–भोपाल, इंन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर,
रीवा, एवं उज्जैन, मध्यप्रदेश.

विषयः– दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना–2018.

संदर्भः:– संचालनालय का ज्ञापन कमाक/निःक.9/कौ.वि./2018/551–552, भोपाल दिनांक 3.4.2018 एवं पत्र कमांक/निःक.9/2018/669–670, भोपाल, दिनांक 26.4.2018.

—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । जिसके द्वारा प्रदेश के दृष्टिबाधित दिव्यांगजन को सूचना एवं प्रौधोगिकी के क्षेत्र में सशक्त बनाने की अभिनय पहल हेतु कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना–2018 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी ।

योजना के माध्यम से ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांगजन जो शिक्षित होकर वर्तमान में बेरोजगार हैं, उन्हें स्वयं का रोजगार एवं आत्मनिरर्भर बनाये जाने हेतु कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु यह योजना कारगर होगी । योजना के तहत दृष्टिबाधित दिव्यांगजन को केवल एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहज संदर्भ हेतुं योजना की प्रति पुनः संलग्न है ।

उक्त योजनान्तर्गत आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी आजपर्यन्त तक अप्राप्त है । यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है ।

अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें । आपके द्वारा की गई कार्यवाही से दिनांक 22 जून 2018 तक संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें । प्रकरण समय–सीमा का है । इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे ।

संलग्नः–योजना की प्रति ।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन,
कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 31.05.2018

पृष्ठांकन कमांक/निःक.9/2018/908

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,मंत्रालय, बल्लभभवन, भोपाल.
2. कलेक्टर, जिला– भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, एवं उज्जैन मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन,
कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपल

## दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, 2018

दिव्यांगजनों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त बनाने की अभिनव पहल...

### 1. प्रस्तावना

कम्प्यूटर वर्तमान जीवन शैली का अनिवार्य अंग बन चुका है। कम्प्यूटरीकृत नवीन तकनीक आ जाने के उपरांत ब्रेल पुस्तकों और प्रकाशनों की जरूरत महशुस नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अखबार के एक वेब संस्करण को पढ़ने में सक्षम है अगर उसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर में लोड किया गया हो तो ब्रेल या अन्य किताब के रूप में एक अख़बार प्रकाशित करने के लिए वित्तीय और मानव संसाधनों की भारी मात्रा में खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

### 2. उद्देश्य

दृष्टिबाधित व्यक्तियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए राईटर की आवश्यकता होती है एवं समय पर योग्य राईटर भी उपलब्ध नहीं हो पाते है, जिसके कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति को काफी समस्या का सामना करना पडता है। कंप्यूटर की सहायता से एक बड़ा परिवर्तन यह हो सकता है कि यदि दृष्टिबाधित व्यक्ति को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित किया जाये तो वह सामान्य व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। प्रदेश के दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में समान भागीदारी के उद्देश्य हेतु कम्प्यूटर में प्रशिक्षित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते है, देश-विदेशों की घटनाओं एवं गतिविधियों को बारे में जान सकते है, रोजगार एवं स्वरोगजार भी स्थापित कर सकते है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को पोर्टेबल कंप्यूटर में प्रशिक्षित करना लगभग उसकी आँखों को वापस देने के समान है।

### 3. योजना का नाम

**' दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, 2018' होगा।**

### 4. पात्रता के मापदण्ड

1. हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टिबाधा हो।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो।
4. 8 वीं की परीक्षा कम से 50 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण किया हो।
5. योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की पात्रता एक ही बार देय होगा।

**5. आवश्यक दस्तावेज**

- 8 वीं कक्षा की अंक सूची की छायाप्रति।
- 40 प्रतिशत या इससे अधिक के दृष्टिहिन दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- निवास के पते के प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि) की छायाप्रति।
- गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- समग्र आईडी।

**6. प्रशिक्षण अवधि**

2 माह की होगी।

**7. लक्ष्य**

प्रतिवर्ष चयनित पात्र छात्रों को कम्प्यूटरीकृत गहन प्रशिक्षण स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ 2 पालियों में (चार- चार घण्टों के अंतराल पर) प्रदाय किया जावेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के 7 संभागों यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा एवं उज्जैन के शासकीय भवनों में यह प्रारंभ की जावेगी।

**8. संभावित वित्तीय आकार**

निम्नानुसार प्रारंभिक वित्तीय आकार होगा :-

| क्र. | सामग्री | राशि (प्रति यूनिट) | कुल व्यय (राशि लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | **कंप्यूटर** (7 संभाग हेतु प्रति संभाग 10 के मान से) वांछनीय कॉन्फ़िगरेशन: इंटेल 3 या समान प्रोसेसर, 4 जीबी रैम, 250 जीबी या उच्च हार्ड डिस्क, अधिक्र बैटरी बैकअप एवं कम वजनी | रू. 32,000/- | 22.40 |
| 2 | **इंडो एन.वी.डी.ए. स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर** (7 संभाग हेतु प्रति संभाग 10 के मान से) | रू. 4000/- | 2.80 |
| 3 | कंप्यूटर प्रशिक्षक (7 केन्द्रों हेतु मानदेय) | रू. 10,000/- | 8.40 |
| 4 | दृष्टिबाधित हेतु कक्ष सहायक भृत्य (7 केन्द्रों हेतु मानदेय) | रू. 6,000/- | 5.04 |
| 5 | 4 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी (7 संभाग हेतु प्रति संभाग 10 के मान से) | रू. 8,000/- (प्रतिवर्ष) | 0.56 |
| 6 | ऑनलाइन लाइब्रेरी (अरूषि द्वारा नि:शुल्क) | - | - |
| | कुल लागत | | 39.20 |

**9. प्रशिक्षण उपरांत सहायता**

- प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक छात्र को लैपटॉप दिया जावेगा।

**10. बजटीय प्रावधान**

योजना का क्रियान्वयन राज्य निराश्रित निधि से किया जावेगा।

**11. अभिलेखों का संधारण**

अभिलेखों का संधारण संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण द्वारा विभागीय पोर्टल (http://socialjustice.mp.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से डाटा अपलोड किया जावेगा।

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग